# मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2005 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 1 अगस्त, 2005 (श्रावण 10, 1927)

**समय 10.30 बजे दिन**

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसारः-

(क) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष (राजस्व प्राप्तियां), तथा

(ख) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष का (वाणिज्यिक), पटल पर रखेंगे.

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्य मंत्री खनिज साधन, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत, हरवंश सिंह, राजेश पटेल, सदस्य, संविदा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियां होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, बैतूल जिले के अनेक ग्रामों में खरीफ की फसलों पर कंबल कीड़ों का प्रकोप होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे,

### 4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

पं. रमेश दुबे, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

### 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमंत यशोधराराजे सिंधिया, सदस्य, शिवपुरी जिले के-

(क) ग्राम तानपुर से झूड़ तक सड़क बनाये जाने,
(ख) ग्राम तानपुर में 110 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगाये जाने,
(ग) ग्राम ठर्रा में नलजल योजना प्रारंभ कराये जाने,
(घ) ग्राम पंचायत खड़ोच में मुखाझर नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,
(ङ) ग्राम रहरगवां मं प्राथमिक उप. स्वा. केन्द्र खोले जाने,
(च) ग्राम सिरसौना-करेरा मार्ग पर पुल बनाये जाने,
(छ) ग्राम सलैया करैरा में प्राथमिक स्वा. केन्द्र खोले जाने,
(ज) ग्राम सलैया में नलजल योजना प्रारंभ कराये जाने,
(झ) ग्राम सिरसौद में प्राथमिक स्वा. केन्द्र खोले जाने,
(ञ) ग्राम वीरा की नलजल योजना को प्रारंभ कराये जाने,
(ट) ग्राम वीरा स्थित माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,
(ठ) ग्राम भड़ाबाउड़ी में नलजल योजना की स्वीकृति दिलाये जाने,
(ड) शिवपुरी नगर के सदर बाजार स्थित कन्या माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने
(ढ) ग्राम पंचायत पिपरों में महुअर नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,
(ण) ग्राम तिगरी में अनुसूचित जाति के लिये आवासीय कालोनी बनाये जाने,
(त) ग्राम बड़ौरा स्थित माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,
(थ) ग्राम चंदावली स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,
(द) शिवपुरी नगर में सीवर लाईन डलवाये जाने,
(ध) शिवपुरी नगर में पेयजल व्यवस्था कराये जाने,
(न) शिवपुरी नगर के वार्ड क्र. 1 में बिजली लगाये जाने,
(प) ग्राम नारही में नलजल योजना प्रारंभ कराये जाने,
(फ) श्योपुर-शिवपुरी मार्ग पर पुलिया बनाये जाने,
(ब) ग्राम सिंह निवास से ख्यावदा तक सड़क एवं पुलिया बनाये जाने,
(भ) ग्राम ख्यावदा में विद्युत सब स्टेशन स्थापित कराये जाने,

-2-

(म) सिरसोना से करैरा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(य) ग्राम सुहारा में नलजल योजना की स्वीकृति दिलाये जाने,

(र) ग्राम बड़ौरा में सलाई नदी पर बांध बनाये जाने,

(ल) ग्राम सिरसोद से तिगरी तक सड़क बनाये जाने,

(व) झांसी रोड से सिला नगर तक सड़क बनाये जाने,

(श) ग्राम सलैया से सिरसोन-खोड़ रोड तक सड़क बनाये जाने,

(ष) ग्राम नारही में पंखिया नहर पर पुल बनाये जाने,

(स) ग्राम मेहदावली में तालाब बनाये जाने, तथा

(ह) ग्राम राजापुर में तालाब बनाये जाने,

(2) श्री गोविंद सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम पिपरियाकला में विद्युत सब स्टेशन स्थापित कराये जाने,

(ख) ग्राम साली चौका से इमलिया तक सड़क बनाये जाने,

(ग) गाडरवारा से कांधरगांव तक सड़क डामरीकरण कराये जाने,

(घ) ग्राम आमगांव से झांझरगांव तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ङ) गाडरवारा रेल्वे स्टेशन से बायपास तिराहे तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(च) ग्राम डुंगरिया में विद्युत सब स्टेशन लगाये जाने, तथा

(छ) ग्राम साईखेड़ा से पिटरास मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम गुढ़वा स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय की भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने,

(4) श्री ओमप्रकाश पुरोहित, सदस्य, मंदसौर जिले के -

(क) ग्राम हिगोरिया के हाईस्कूल को नियमित कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम अमलावत में हाई स्कूल खोले जाने,

(5) श्री निशिथ पटेल, सदस्य, कटनी जिले के उमरियापान-सिहोरा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(6) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्वालियर जिले के -

(क) ग्राम छोटी व्हांगी में माध्यमिक शाला खोले जाने,

(ख) ग्राम बेहट में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(ग) मुरार नगर के सिंहपुर रोड मंदिर के पास से कलारी हटाये जाने,

(7) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम बसीगड़ा स्थित पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम देवरा स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम मलेगवां स्थित पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(घ) ग्राम बिछरहटा स्थित पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ङ) मऊगंज नगर में बनी उप जेल को प्रारंभ कराये जाने,

(च) ग्राम धोंसड़ स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

(छ) ग्राम गौरी स्थित कन्या हाईस्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(ज) हनुमना नगर में सिविल कोर्ट खोले जाने, तथा

(झ) ग्राम जड़कुड़ स्थित पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(8) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम सिंहपुरा के पास मानगढ़ माईनर पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(ख) लहार भिण्ड सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ग) ग्राम रौन में तरी के ताल से अतिक्रमण हटाये जाने,

(9) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य, खण्डवा जिले के -

(क) ग्राम मालूद के मकानों को अधिग्रहीत कर मुआवजा दिलाने तथा विस्थापित किये जाने,

(ख) सुलगांव-धनगांव, बीड-मूंदी-धारगवाड़ी-जलकुआ तथा लहाड़पुर-सोमगांव मार्ग पर आने वाली नदी पर पुल बनाये जाने, तथा

(ग) ओंकारेश्वर नगर पंचायत के नाविकों को रोजगार देने तथा व्यवस्थित किये जाने,

(10) श्री धुलजी चौधरी, सदस्य, रतलाम जिले के -

(क) नामली-धामनौद मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(ख) धराड़-भातीबड़ोदिया- मून्दड़ी मार्ग का निर्माण कराये जाने, तथा

(ग) मून्दड़ी-छत्ती-बिरमावल-सातरूण्ड़ा मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(11) पं. रमेश दुबे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम डांगावानी पिपरिया में माध्यमिक शाला खोले जाने,

(ख) विधान सभा क्षेत्र चौरई में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्माण कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने,

(ग) ग्राम कुपुर्दा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(घ) ग्राम जम्होड़ी पण्डा में माध्यमिक शाला खोले जाने, तथा

(ङ) ग्राम चांदढ़ाना को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाये जाने,

(12) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य,श्योपुर जिले के -

(क) श्योपुर नगर स्थित महाविद्यालय में विधि की कक्षायें प्रारंभ कराये जाने,

(ख) बरगंवा पालपुर मार्ग का कार्य पूर्ण कराये जाने,

(ग) ग्राम सुंसवाड़ा के पास नदी पर पुल बनाये जाने,

(घ) श्योपुर में आई.टी.आई. खोले जाने,

(ङ) श्योपुर नगर में बायपास मार्ग बनाये जाने,

(च) जुवाड़-डिलवाड़ा, पच्चीपुरा-ननावढ़, निमोदापीर-घुढ़ा आदि मार्गों का डामरीकरण कराये जाने,

(छ) गौरस-आवदा मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने,

(ज) गोरस श्यामपुर मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने,

(झ) ग्राम प्रेमसर से भोगी का तिराहे तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ञ) बड़ोदा उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाये जाने, तथा

(ट) श्योपुर नगर स्थित महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की कक्षायें प्रारंभ कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

**6.लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु निर्वाचन.**

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के क्रमशः नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (1) तथा नियम 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2005-2006 की शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति में रिक्त हुए तीन स्थानों, प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक स्थान तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से क्रमशः तीन सदस्यों तथा एक-एक सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

**7. शासकीय विधि विषयक कार्य**

(1) श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 11 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री हिम्मत कोठारी, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 17 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

**8. वर्ष 2005-2006 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान**

**निर्धारित समय**

श्री राघव जी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 53, 56, 57, 58, 63, 64, 66, 67, 69, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 95, तथा 96 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो हजार नौ करोड़, तेरह लाख, एक सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय.".

2 घन्टे

**9. शासकीय विधि विषयक कार्ये**

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 6) विधेयक, 2005 (क्रमांक 15 सन् 2005) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**10. प्रतिवेदनों पर चर्चा**

(1) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 पर चर्चा (क्रमशः).

शेष 1 घन्टा 30 मि.

(2) आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 तथा वर्ष 2003-2004 पर चर्चा.

2 घन्टा

**डॉ. ए.के. पयासी**
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 31 जुलाई, 2005

---

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात.